Evaluation Warning : The version can be used only for evaluation purpose...

बेघर बच्चों के पुनर्वास हेतु जिला स्तरीय समन्वय बैठक संपन्न

खण्डवा। 23 सितंबर को दोपहर बजे जिला बाल संरक्षण अधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा की अध्यक्षता में सड़क पर रहने वाले बालकों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु जिला स्तरीय समन्वय बैठक का आयोजन ए.डी.आर. सेंटर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर खंडवा में आयोजित की गई।

हरदा में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच आयोजित

बच्चों से संबंधित 400 मामलों में हुई सुनवाई

प्रदेश टुडे, संवाददाता, हरदा।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने शनिवार को हरदा में आयोग की बेंच में बच्चों से संबंधित समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 जिलों में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग संबंधित प्रदेश के राज्य बाल आयोग के साथ बेंच का आयोजन कर बच्चों से जुड़े मामलों में सुनवाई कर रहा है। इस दौरान प्रदेश राज्य बाल आयोग के सदस्य [illegible], कलेक्टर ऋषि गर्ग, एसपी मनीष अग्रवाल भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जिले के बच्चों से संबंधित लगभग 400 प्रकरणों में आयोग ने सुनवाई की। वहीं दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर और अन्य आवश्यक उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम को कलेक्टर श्री गर्ग ने संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच के आयोजन से बच्चों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्यवाही हो रही है और बच्चों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने हरदा में आयोग की बेंच आयोजन के लिए आयोग का आभार प्रकट किया।

इस दौरान आयोग के अध्यक्ष श्री कानूनगो ने पोषण माह में आयोजित रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई पोषण प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस दौरान अपर कलेक्टर जेपी सैयाम, जिला पंचायत सीईओ आलोक शर्मा, एएसपी राजेश्वरी महोबिया एवं अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।

नव भारत

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की लगी बैंच

बेंच में लगभग चार सौ मामलों में सुनवाई की गई

नवभारत न्यूज

हरदा, 24 सितंबर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने शनिवार को हरदा में आयोग की बेंच में बच्चों से संबंधित समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए।

इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 जिलों में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग संबंधित प्रदेश के राज्य बाल आयोग के साथ बेंच का आयोजन कर बच्चों से जुड़े मामलों में सुनवाई कर रहा है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश राज्य बाल आयोग के सदस्य द्रविंद्र मोरे भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बच्चों से संबंधित लगभग 400 प्रकरणों में आयोग ने सुनवाई की। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर और अन्य आवश्यक उपकरण वितरित किए गए।

इस अवसर पर कलेक्टर ऋषि गर्ग ने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच के आयोजन से बच्चों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्यवाही हो रही है और बच्चों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है।

अपर कलेक्टर जेपी सैयाम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम कुमार शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग संजय त्रिपाठी व अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष कानूनगो ने पोषण माह में आयोजित रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

स्कूलों में बच्चों की बैग पॉलिसी का नहीं हो रहा पालन

प्रदेश टुडे, संवाददाता, हरदा।

बाल कल्याण अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में जिले की टिमरनी नगर परिषद के पार्षद सुनील दुबे ने शनिवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो को आवेदन सौंपा। इस आवेदन के माध्यम से पार्षद श्री कानूनगो ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल बेग पॉलिसी बनाई गई हैं। किंतु टिमरनी ब्लॉक की किसी भी शासकीय एवं अशासकीय स्कूल में उपयुक्त पॉलिसी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा हैं। इस संबंध में जिला शिक्षा विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि टिमरनी ब्लॉक की प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकंडरी सरकारी एवं निजी स्कूलों में प्रतिदिन कितना समय निर्धारित हैं। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में सुरक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों को नियमानुसार भूतल, प्रथम तल या द्वितीय तल कहां कक्षाएं संचालित हो सकती हैं। उपयुक्त बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए उनका क्रियान्वयन करवाने की मांग भी की गई हैं।

कोई भी स्कूल संचालक नहीं कर रहे बैग नीति का पालन

टिमरनी, (नवदुनिया न्यूज)। बाल कल्याण अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में पार्षद सुनील दुबे ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो को आवेदन दिया। जिसमें कहा कि स्कूल शासन विभाग द्वारा स्कूल बैग पालिसी बनाई गई है, लेकिन टिमरनी विकासखंड में किसी भी शासकीय-अशासकीय स्कूल में उपयुक्त पालिसी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में जिला शिक्षा विभाग द्वारा कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं, इस ओर ध्यान दिया जाए। प्राथमिक माध्यमिक, हाईस्कूल, हाई सेकंडरी, शासकीय-अशासकीय स्कूलों में स्कूल संचालन प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है, प्राथमिक व माध्यमिक शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में सुरक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों को नियमानुसार भूतल, प्रथम तल या द्वितीय तल कहा कक्षाएं संचालित हो सकती है। उपयुक्त विंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए उनका क्रियान्वयन करवाने की मांग की गई।

मांगरूल पंचायत ने मवेशियों को पकड़ा

हंडिया। ग्राम पंचायत मांगरूल में शनिवार को बेसहारा मवेशियों को पकड़ा गया। गांव से मवेशी लेकर 5 किलोमीटर दूर हंडिया में छोड़कर चले गए। वहीं दूसरी ओर हंडिया ग्राम पंचायत द्वारा सभी मवेशियों को वापिस मांगरूल की ओर छोड़ा गया।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को आवेदन देते पार्षद। ● नवदुनिया

पूरा सच, बेहिचक
प्रदेश टुडे
WhatsApp Edition
भोपाल, रविवार, 25 सितंबर 2022
ब्यूरो चीफ रफीक खान, हरदा
मों.9926312502

स्कूलों में बच्चों की बैग पॉलिसी का नहीं हो रहा पालन

प्रदेश टुडे, संवाददाता, हरदा।

बाल कल्याण अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में जिले की टिमरनी नगर परिषद के पार्षद सुनील दुबे ने शनिवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो को आवेदन सौंपा। इस आवेदन के माध्यम से पार्षद श्री कानूनगो ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल बेग पॉलिसी बनाई गई हैं। किंतु टिमरनी ब्लॉक की किसी भी शासकीय एवं अशासकीय स्कूल में उपयुक्त पॉलिसी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा हैं। इस संबंध में जिला शिक्षा विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि टिमरनी ब्लॉक की प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकंडरी सरकारी एवं निजी स्कूलों में प्रतिदिन कितना समय निर्धारित हैं। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में सुरक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों को नियमानुसार भूतल, प्रथम तल या द्वितीय तल कहां कक्षाएं संचालित हो सकती हैं। उपयुक्त बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए उनका क्रियान्वयन करवाने की मांग भी की गई हैं।

कानूनगो ने समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच में लगभग 400 मामलों में सुनवाई की गई

हरिभूमि न्यूज ▸▸ हरदा

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने शनिवार को हरदा में आयोग की बेंच में बच्चों से संबंधित समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 जिलों में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग संबंधित प्रदेश के राज्य बाल आयोग के साथ बेंच का आयोजन कर बच्चों से जुड़े मामलों में सुनवाई कर रहा है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश राज्य बाल आयोग के सदस्य द्रविंद्र मोरे भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बच्चों से संबंधित लगभग 400 प्रकरणों में आयोग ने सुनवाई की। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर और अन्य आवश्यक उपकरण वितरित किए गए।

इस अवसर पर कलेक्टर ऋषि गर्ग ने संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच के आयोजन से बच्चों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्यवाही हो रही है, और बच्चों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। इस दौरान अपर कलेक्टर जेपी सैयाम जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम कुमार शर्मा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग संजय त्रिपाठी व अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।

इस दौरान आयोग के अध्यक्ष कानूनगो ने पोषण माह में आयोजित रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई पोषण प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

दुनिया का सबसे बेस्ट कानून है पॉक्सो एक्ट

भारत का जो पॉक्सो कानून है वह दुनिया के सबसे सख्त और प्रभावी कानूनों में से एक है। जिस प्रकार से राक्षसी प्रवृति समाज में पनप रही है उसके लिए मृत्युदंड से कम कोई प्रावधान होना ही नहीं चाहिए। पॉक्सो एक्ट बच्चों की सुरक्षा के लिए और अपराध रोकने के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा समाज में जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। इस प्रकार की लगातार घटनाएं घटित हो रही है जो चिंताजनक है। उनको रोकने के लिए इस कानून का तेजी से पालन होना जरूरी है। आयोग ने राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर पॉक्सो के प्रकरण ट्रैक करेंगे। इसकी एक वेबसाइट का लांच कुछ दिनों पूर्व हो चुका है। जल्दी यह पोर्टल प्रभावी ढंग से काम करेगा। बाल मजदूरी को रोकने के लिए भी आयोग लगातार प्रयास कर रहा है। बाल मजदूरी कराने के पीछे जो कारण है उन कारणों को कैसे दूर करें उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। बच्चों से भीख मंगवाना कानूनी अपराध है उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं कि इस सामाजिक बुराई को कैसे दूर किया जा सके। गड़रिया समुदाय ने राजस्थान और गुजरात की सीमा पर एक बैठक कर तय किया है कि वह अब बच्चों से भेड़ चराने का काम नहीं करेंगे।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच में 400 मामलों में सुनवाई की गई

हरदा ■ राज न्यूज नेटवर्क

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने शनिवार को हरदा में आयोग की बेंच में बच्चों से संबंधित समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए।

इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 जिलों में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग संबंधित प्रदेश के राज्य बाल आयोग के साथ बेंच का आयोजन कर बच्चों से जुड़े मामलों मैं सुनवाई कर रहा है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश राज्य बाल आयोग के सदस्य द्रविंद्र मोरे भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बच्चों से संबंधित लगभग 400 प्रकरणों में आयोग ने सुनवाई की। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर और अन्य आवश्यक उपकरण वितरित किए गए।

इस अवसर पर कलेक्टर ऋषि गर्ग ने संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच के आयोजन से बच्चों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्यवाही हो रही है, और बच्चों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने हरदा में आयोग की बेंच आयोजन के लिए आयोग का आभार प्रकट किया ।

इस दौरान अपर कलेक्टर जेपी सैयाम जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम कुमार शर्मा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग संजय त्रिपाठी व अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष श्री कानूनगो ने पोषण माह में आयोजित रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई पोषण प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच में लगभग 400 मामलों में सुनवाई की गई

स्वतंत्र समय, हरदा।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने शनिवार को हरदा में आयोग की बेंच में बच्चों से संबंधित समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 जिलों में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग संबंधित प्रदेश के राज्य बाल आयोग के साथ बेंच का आयोजन कर बच्चों से जुड़े मामलों मैं सुनवाई कर रहा है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश राज्य बाल आयोग के सदस्य द्रविंद्र मोरे भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बच्चों से संबंधित लगभग 400 प्रकरणों में आयोग ने सुनवाई की। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर और अन्य आवश्यक उपकरण वितरित किए गए। इस अवसर पर कलेक्टर ऋषि गर्ग ने संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच के आयोजन से बच्चों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्यवाही हो रही है, और बच्चों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने हरदा में आयोग की बेंच आयोजन के लिए आयोग का आभार प्रकट किया । इस दौरान अपर कलेक्टर जेपी सैयाम जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम कुमार शर्मा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग संजय त्रिपाठी व अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष कानूनगो ने पोषण माह में आयोजित रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच में 400 मामलों में सुनवाई हुई

दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर सहित अन्य उपकरण प्रदान किए गए

जागरण, हरदा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने शनिवार को हरदा में आयोग की बेंच में बच्चों से संबंधित समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 जिलों में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग संबंधित प्रदेश के राज्य बाल आयोग के साथ बेंच का आयोजन कर बच्चों से जुड़े मामलों में सुनवाई कर रहा है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश राज्य बाल आयोग के सदस्य द्रविंद्र मोरे भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बच्चों से संबंधित लगभग 400 प्रकरणों में आयोग ने सुनवाई की। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर और अन्य आवश्यक उपकरण वितरित किए गए। इस अवसर पर कलेक्टर ऋषि गर्ग ने संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच के आयोजन से बच्चों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्यवाही हो रही है और बच्चों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने हरदा में आयोग की बेंच आयोजन के लिए आयोग का आभार प्रकट किया। इस दौरान अपर कलेक्टर जेपी सैयाम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम कुमार शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग संजय त्रिपाठी व अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष श्री कानूनगो ने पोषण माह में आयोजित रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई पोषण प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया।

कृषि मंत्री कमल पटेल से की सौजन्य मुलाकात

जागरण, हरदा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो शुक्रवार को हरदा पहुंचे। हरदा आगमन पर किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल से उन्होंने सौजन्य मुलाकात की। बाल अधिकारों के संरक्षण को लेकर मंत्री कमल पटेल से आयोग के अध्यक्ष कानूनगो ने चर्चा की। इस अवसर पर एडवोकेट रामशंकर पटेल, भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष जितेन्द्र सोनी, सुमित शर्मा सहित भजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे।

स्कूल बेग पॉलिसी का शासकीय-अशासकीय स्कूलों में नहीं हो रहा पालन, आयोग अध्यक्ष को सौंपा आवेदन

जागरण, टिमरनी। बाल कल्याण अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में पार्षद सुनील दुबे ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो को आवेदन सौंपा। जिसमे कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल बेग पॉलिसी बनाई गई है, किंतु टिमरनी विकासखंड में किसी भी शासकीय, अशासकीय स्कूल में उपरोक्त पॉलिसी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में जिला शिक्षा विभाग द्वारा कोई कार्यवाही हो रही है या नहीं इस ओर ध्यान दिया जावे। प्राथमिक माध्यमिक, हाईस्कूल, हाई सेकेंडरी, शासकीय-अशासकीय स्कूलों में स्कूल संचालन प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है, प्राथमिक व माध्यमिक शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में सुरक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों को नियमानुसार भूतल, प्रथम तल या द्वितीय तल कहां कक्षाएं संचालित हो सकती है जैसे बिंदुओं पर उनका क्रियान्वयन करवाने की मांग की गई।

दैनिक भास्कर

हरदा 25-09-2022

सुनवाई • राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच ने मामले सुने

बेसहारा छोड़ गए बच्ची के पिता पर होगी एफआईआर

वन स्टॉप सेंटर में बच्चे की हत्या के मामले की होगी जांच

भास्कर संवाददाता | हरदा

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच ने शनिवार को पॉलीटेक्निक कॉलेज में बच्चों की समस्याएं सुनीं। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने अधिकारियों को समस्याओं के निर्देश दिए। हरदा क्षेत्र की एक गरीब बच्चे की मां का निधन हो गया। उसके पिता बच्ची को बेसहारा छोड़ गए। परिजनों के साथ पहुंची बच्ची की शिकायत पर अध्यक्ष ने तत्काल पुलिस को पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इस दौरान शहर के किराए के भवन में बने वन स्टॉप सेंटर में मां द्वारा तीन साल के बच्चे की नृशंस हत्या के मामले को बेंच ने संज्ञान में लिया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच होगी। इस दौरान बेंच ने करीब 400 मामलों की सुनवाई की। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर प्रदान की गई। मप्र बाल आयोग के सदस्य द्रविंद्र मोरे, कलेक्टर ऋषि गर्ग, एसपी मनीष कुमार अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ राम कुमार शर्मा, एएसपी राजेश्वरी महोबिया, महिला बाल विकास अधिकारी संजय त्रिपाठी मौजूद थे।

हरदा। बेंच में सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष के साथ कलेक्टर व अन्य।

आयोग अध्यक्ष कानूनगो ने मीडिया से चर्चा में कहा कि भोपाल के रातीबड़ थाना इलाके के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल की नर्सरी की छात्रा से बस में हुए रेप के मामले में कहीं न कहीं प्रशासन की हिलाहवाली रही है। इसके कारण घटना हुई। हमें रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद आगे के आदेश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के पॉक्सो एक्ट दुनिया मे सबसे सख्त एवं प्रभावी कानूनों में से है। समाज में पनप रहे पैशाचिक प्रवृति के लिए मृत्यु दंड से कम प्रावधान होना ही नहीं चाहिए। इस दौरान उन्होंने शहर के वन स्टॉप सेंटर में एक महिला के द्वारा अपने तीन साल के बेटे की हत्या के मामले में भी कार्रवाई की बात कही।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच में 4 सौ मामलों में सुनवाई

हरदा, देशबन्धु। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने शनिवार को नगर में आयोग की बेंच में बच्चों से संबंधित समस्याएं सुनीं और उनके निराकरण के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 जिलों में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग संबंधित प्रदेश के राज्य बाल आयोग के साथ बेंच का आयोजन कर बच्चों से जुड़े मामलों में सुनवाई कर रहा है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश राज्य बाल आयोग के सदस्य द्रविंद्र मोरे भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बच्चों से संबंधित लगभग 400 प्रकरणों में आयोग ने सुनवाई की। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर और अन्य आवश्यक उपकरण वितरित किए गए। इस अवसर पर कलेक्टर ऋषि गर्ग ने संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच के आयोजन से बच्चों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई हो रही है, और बच्चों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने नगर में आयोग की बेंच आयोजन के लिए आयोग का आभार प्रकट किया।

इस दौरान अपर कलेक्टर जेपी सैयाम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम कुमार शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग संजय त्रिपाठी व अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष कानूनगो ने पोषण माह में आयोजित रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई पोषण प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।